पत्रांक-5/प0स0-27/2019....................../

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

विषय:- **जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के सुचारु रूप से संचालन हेतु कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) का पद सृजन करने के संबंध में।**

झारखण्ड राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के स्तर को शिखर तक ले जाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। सरकार के इस निश्चय को पूर्ण करने हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग निरंतर प्रयासरत है। इस क्रम में केंद्र प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान" (RUSA) के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) की 11वीं बैठक में 'राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद' (NAAC) में 'A' ग्रेड प्राप्त करने के फलस्वरूप जमशेदपुर महिला महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में स्तरोन्नयन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार के गजट संख्या-127, दिनांक-15.02.2019 से विधि विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0-एल0जी0 29/2018-240/लेज0 दिनांक-13.02.2019 द्वारा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिसूचित किया गया है, जिसके माध्यम से जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, जमशेदपुर का स्तरोन्नयन करते हुए जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

3. जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, जमशेदपुर, स्तरोन्नयन के उपरांत अस्तित्व में आया जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, झारखण्ड राज्य का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के कार्य संचालन को सुचारु रखने के लिए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा दिनांक-01.12.2020 को की गयी अनुशंसा एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25.02.2021 में मद संख्या-16 के रूप में प्रदत्त स्वीकृति के आलोक में फ़िलहाल कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय) के पदों का सृजन की स्वीकृति निम्नवत् शर्तों के अधीन दी जाती है:-

क्र0	पदनाम	7th CPC के अन्तर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान (उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का संकल्प संख्या-319, दिनांक-07.02.2019) में आरंभिक वेतन	सृजित पदों की संख्या
1.	कुलपति	2,10,000/-	01
2.	कुलसचिव	1,44,200/-	01
3.	वित्त् पदाधिकारी	1,44,200/-	01
4.	परीक्षा नियंत्रक	1,44,200/-	01
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष (विश्वविद्यालय)	1,44,200/-	01
		कुल योग:-	05

4. कुलपति तथा कुलसचिव की नियुक्ति कुलाधिपति की अनुशंसा पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा किया जायेगा एवं शेष अन्य पदाधिकारियों की सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के परिनियम के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा किया जायेगा।

5. इन पदों पर होने वाले व्यय का विकलन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट शीर्ष से किया जाएगा।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:- 5/प0स0-27/2019.........................../ रांची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/ई-गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-
(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:- 5/प0स0-27/2019.........................../ रांची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:- 5/प0स0-27/2019....622..................../ रांची, दिनांक:- 31/05/2021

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव/ सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद एवं प्राचार्या, जमशेदपुर महिला महाविद्यालय, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/5/21

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।